

ओरेगन के तंबाकू-संबंधी कानूनों का अनुपालन कैसे करें

ओरेगन का तम्बाकू खुदरा लाइसेंस प्रोग्राम, ओरेगन स्वास्थ्य प्राधिकरण (OHA) और ओरेगन राजस्व विभाग (DOR) के बीच सहयोग का परिणाम है। OHA खुदरा विक्रेताओं को शिक्षित करने और जागरूक करने के साथ-साथ 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को इसकी बिक्री रोकने तथा तम्बाकू बिक्री कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और प्रवर्तन भी करता है। DOR खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करता है, लाइसेंस का वार्षिक नवीनीकरण करता है, लाइसेंस से संबंधित शुल्क वसूलता है, तथा बिना लाइसेंस के तम्बाकू बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं पर जुर्माना लगाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अनुपालन में हैं, यहां राज्य और संघीय तम्बाकू बिक्री कानूनों की एक सूची दी गई है, जिनका निरीक्षण OHA और DOR निम्नलिखित हेतु करेंगे:

- ❑ **तम्बाकू खुदरा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु:** तम्बाकू उत्पाद या इनहेलेंट डिलीवरी सिस्टम (IDS) - जिसे "ई-सिगरेट" भी कहा जाता है, बेचने के लिए ओरेगन राज्य तम्बाकू खुदरा लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- ❑ **खुदरा लाइसेंस को उचित रूप से प्रदर्शित करने हेतु:** यह आवश्यक है कि तम्बाकू खुदरा लाइसेंस को ग्राहकों और कर्मचारियों को दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित किया जाए।
- ❑ **राज्य चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए:** ऐसा [राज्य नोटिस](#) लगाना आवश्यक है जिसमें यह कहा गया हो कि 21 वर्ष से कम आयु के ग्राहकों को तंबाकू उत्पाद या IDS बेचना गैरकानूनी है।
- ❑ **21 वर्ष से कम आयु के लोगों को नहीं बेचना:** 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद या IDS बेचना प्रतिबंधित है।
- ❑ **विक्रेता सहायता-प्राप्त बिक्री:** तम्बाकू उत्पादों या IDS को ऐसे स्थान पर रखना जहां ग्राहक उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें, केवल उन स्थानों पर अनुमति है जहां 21 वर्ष से कम आयु के ग्राहकों का प्रवेश वर्जित है। स्वयं-सेवा वेंडिंग मशीनें – चाहे ये केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध हों या नहीं – इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं।

- ❑ **विशिष्ट बिक्री के लिए तम्बाकू वेंडिंग मशीनें प्रतिबंधित:** ORS 180.441 के तहत स्व-सेवा वेंडिंग मशीनों से सिगरेट, धूम्ररहित तम्बाकू या IDS की बिक्री प्रतिबंधित है।
- ❑ **पैक आकार 20:** सिगरेट 20 के पैकेट में बेची जानी चाहिए।
- ❑ **कोई धूम्ररहित तम्बाकू रहित एकल नहीं:** एक भी धूम्ररहित तम्बाकू की थैली नहीं बेची जा सकती।
- ❑ **कोई स्वादयुक्त (फ्लेवर्ड) सिगरेट नहीं:** मेन्थॉल के अलावा किसी भी स्वाद वाली सिगरेट को बेचना प्रतिबंधित है। फ्लेवर्ड IDS उत्पादों पर कुछ प्रतिबंध हैं।
- ❑ **कोई उपहार नहीं:** तम्बाकू उत्पाद की बिक्री के दौरान कोई उपहार या अन्य वस्तु नहीं दी जा सकती।
- ❑ **सही IDS पैकेजिंग:** IDS को नियमों के अनुसार पैक किया जाना चाहिए, विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देते हुए कि वे बच्चों के लिए प्रतिरोधी हों।
- ❑ **सही IDS लेबलिंग:** IDS को नियमों के अनुसार लेबल किया जाना चाहिए।
- ❑ **सही ब्रांडिंग और अनुमोदित तम्बाकू उत्पाद और IDS बेचे गए:** गलत ब्रांड वाले या मिलावटी तम्बाकू उत्पाद या IDS बेचना प्रतिबंधित है।
- ❑ **निरीक्षण और जांच के लिए अनुमत प्रवेश:** तम्बाकू खुदरा विक्रेताओं को निरीक्षण या जांच के लिए प्रवेश की अनुमति देनी होगी।
- ❑ **कोई भी हल्का/light, निम्न/low या मध्यम/mild उत्पाद नहीं बेचा जाएगा:** “हल्का”, “निम्न” या “मध्यम” लेबल वाली सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है।
- ❑ **कोई निःशुल्क नमूने नहीं:** 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए सुलभ क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों के निःशुल्क नमूने वितरित नहीं किए जाएंगे।

यदि कोई खुदरा विक्रेता पहली बार रूटीन निरीक्षण में पास नहीं होता है, तो उसका पहले निरीक्षण के 15 दिन के भीतर फॉलो-अप निरीक्षण किया जाएगा।

OHA तम्बाकू खुदरा विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रतिक्रिया में अतिरिक्त निरीक्षण कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तम्बाकू बिक्री कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

आप इस दस्तावेज़ को अन्य भाषाओं, बड़े प्रिंट, ब्रेल, या अपनी पसंद के प्रारूप में प्राप्त कर सकते हैं।

टोबैको रिटेल लाइसेंस प्रोग्राम से 971-673-2283 पर या

Tobacco.inspections@odhsoha.oregon.gov पर संपर्क करें। हम सभी रिले कॉल स्वीकार करते हैं।

Public Health Division
Tobacco Retail License Program
971-673-2283
Tobacco.Inspections@odhsoha.oregon.gov
www.healthoregon.org/tobaccoretailsales

